26.3.14 | 03.4.14 | 03.4.14 | 03.4.14 | 5.4.14

In the court of S.D.O Rajmahal R.E. Case No. 13/13-14
Sukhit Ramidas v/s Sufal Bagti
with copy of last order

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल दण्डाधिकारी,राजमहल।
आर0ई0 वाद सं0—13/13—14
प्रथम पक्ष—सुखित रविदास
बनाम
द्वितीय पक्ष—सुफल बागती वगैरह

आदेश

आवेदक सुखीत रविदास पिता—लालजित रविदास ग्राम—रामपुर(उधवा) थाना—राधानगर, जिला—साहेबगंज ने विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 02.05.2013 को राजस्व न्यायालय ,राजमहल में विपक्षीगण के विरूद्ध उच्छेदी वाद दायर किया है।

विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है

मौजा	थाना नं0	ज0 नं0	दाग नं0	कुल रकवा
मोहनपूर	164	45	25, 22, 23, 27 एवं 26	05—08—17 (पाँच बीघा आठ कट्ठा सत्रह धूर)

जमीन सर्वे खतियान (पर्चा) में राम दयाल चमार पिता रघु चमार वो हरदयाल चमार पिता—लालजी चमार पिता—गुरूदयाल चमार वो शिवदयाल चमार पिता—लालजी चमार केनामसे दर्ज है जिसकी चौहदी उ0— नीज, द0—सड़क, पू0—नीज, एवं प0—सुबोल बागती है।

उपरोक्त खतियान के अनुसार जमाबंदी सं0—45, दाग नं0—25 रकवा 01—12—01 (एक बीघा बारह कट्ठा एक धूर) जमीन आवेदक के पिता—लालूजी चमार के नाम से है। विपक्षीगण मेरे उपरोक्त जमीन रकवा 01—12—01 (एक बीघा बारह कट्ठा एक धूर) के आंशिक रकवा 5 (पाँच कट्ठा) जमीन जोर जबरदस्ती अपने ताकत व पैसे के बलपर घेरा बन्दी कर रखा है। विपक्षीगण को जब घेरा बन्दी हटाने हेतु कहता हुँ तो मारपीट एवं खुन खराबा पर उतारू हो जाता है। आवेदक के कुछ जमीन को जबरन दखल करने के नीयत से कब्जा जमाये हुए हैं तथा आंशिक भाग में पिलर गाड़ने हेतु उक्त जमीन को खोद भी चुके हैं। आवेदक एक गरीब मोची (चमार) है जो जूता पालिश कर आपने परिवार के सदस्यों का किसी प्रकार से भरण पोषण करता है। जो समाज के काफी कमजोर एवं अर्थहीन व्यक्ति है। जिसका नाजायज लाभ उठाकर विपक्षीगण पैसे एवं लाठी के बल पर उपरोक्त जमीन को हड़पना चाह रहें हैं। अतः विपक्षीगण द्वारा नाजायज व गैर कानूनी तरीके से की गई दखल से उन्हें जमीन से उसे उच्छेद करने की कृपा किया जाय।

आवेदक सुखित रविदास द्वारा समर्पित आवेदन पत्र की जाँच अंचल अधिकारी ,उधवा से करायी गयी। उन्होने अपने पत्र सं0—172/रा0, दिनांक 02.07.2013 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा—मोहनपुर खाता सं0—45, दाग सं0—25, 22, 23, 27, 26 कुल रकवा 05—08—17 (पाँच बीघा आठ कट्ठा सत्रह धूर) जमीन राम दयाल चमार

03/04/14
03/4/14

पिता रघु चमार वे हरदयाल चमार , साधु चमार पिता–गुरूदयाल चमार वे शिवदयाल चमार पिता–लालजीत चमार केनाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। विवादित दाग नं0–25 रकवा 01–12–01 (एक बीघा बारह कट्ठा एक धूर) बाड़ी अव्वल कहकर पर्चा में दर्ज है। जो कैफियत कॉलम में हरदयाल चमार, साधु चमार वो लालजीत चमार का इजमाईल जमीन है। आवेदक सुखीत रविदास जमाबंदी रैयत लालजीत चमार का पुत्र है। जाँच के क्रम में यह भी पाया गया कि विपक्षों सुफल बागती व दीगर पिता सुजन बागती दाग नं0–25 पर आंशिक रकवा 00–05–00 (पाँच कट्ठा) जमीन सादा केवाला दिनांक 07.04.2003 में दासु बागती से खरीद किया है तथा दासु बागती प्रश्नगत भूमि किससे प्राप्त किया है इसका कागजात विपक्षी के पास नहीं है। आवेदिका जमीन पर विपक्षी का छः कमरा कुर्सी ढलाई तक बना है तथा एक झोपड़ी भी बना हुआ है जो लगभग 02 कट्ठा हैं। शेष 03 कट्ठा जमीन परती है। लेकिन विपक्षी के कब्जा में है। उपरोक्त मौजा प्रधानी है। यहाँ किसी भी जमीन हस्तांतरण नहीं होती है। विपक्षी के द्वारा कब्जा वाली जमीन से उच्छेद करने की अनुशंसा की गयी है।

विपक्षी के ओर से दाखिल कारण पृच्छा में उन्होंने अपने समर्थन में कहा कि मौजा–मोहनपुर जमाबंदी नं0–45, दाग नं0–25 रकवा 00–05–00 (पाँच कट्ठा) जमीन जिसकी चौहदी उ0–नीज, द0–सड़क, पू0–नीज, प0–सुबोल बागती है। जिसपर उच्छेदी का मुकदमा किया गया है। दासु बागती विपक्षी सुफल बागती का गोतियारी भाई लगता था। जिसकी सेवा सुश्रूषा आजीवन करने के उपरान्त दासु बागती ने अपने जीवित काल में ही अति प्रेमपूर्ण घनिष्ठ संबंध के कारण अपने भाई सुफल बागती को पारिवारिक प्रबंध के तहत एक दान पत्र का कागजात नोटरी पब्लिक ,साहेबगंज से दिनांक 07 अप्रैल, 2003 को तैयार कर दी है एवं तभी से विपक्षी सुफल बागती कार्यवाही वाली 05 कट्ठा जमीन पर घर बनाकर सपरिवार रहता आ रहा है। आवेदक के अंश से इसका कोई सरोकार नहीं है।

दासु बागती जाति का हरिजन था। जिसकी शादी खातियानी रैयत हरदयाल की पुत्री से सम्पन्न हुआ था। एवं हरदयाल अपने जीवित काल में ही उक्त 05 कट्ठा जमीन पारिवारिक प्रबंध के तहत अपने दामाद तथा पुत्री को दिया था। दासु बागती को कोई संतान नहीं था। जिस कारण विपक्षी सुफल बागती जो गोतियारी भाई था। उसके सेवा सुश्रुषा के एवज में दान स्वरूप दिया गया है। जिस पर 70–80 वर्षो से दखल कब्जा है। इस बीच आवेदक तथा उसके परिवार द्वारा कभी आपत्ति नहीं किया गया है। अंचल से प्राप्त रिपोर्ट में आवेदक को खतियानी रैयत का पुत्र बताया जाना उन्हीं के रिपोर्ट में दर्शाये गए खतियानी रैयत के नाम से झुठा सावित होता है जो न्यायालय को भ्रमित कर रहा है। अतएव वादी द्वारा दायर यह मुकदमा निरस्त करने की कृपा करें।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि मौजा मोहनपुर जमाबंदी नं0–45, दाग नं0–25 रकवा 01–12–01 (एक बीघा बारह कट्ठा एक धूर) जमीन आवेदक का पैतृक सम्पत्ति है। लालजीत चमार आवेदक के पिता है। जो

खतियानी रैयत है । विपक्षी के द्वारा उक्त भूमि में से 00–05–00 (पाँच कट्ठा) जबरन हड़प लिया गया है, जिस पर कार्यवाही चल रही है। विपक्षी का दावा है कि यह मेरा जमीन है, यह जमीन पारिवारिक प्रबंध पत्र के तहत प्राप्त है। दासु बागती द्वारा जमीन दान दिया गया । बागती हमारे जाति के नहीं है। ये दासु बागती से जमीन साहेबगंज नोटरी से प्राप्त किये है। दासु बागती उस जमीन को देने में सक्षम नहीं थे। यह मेरा जमीन हड़पने का तरीका है। प्रधान के द्वारा वर्ष 2008 तक लगान रसीद दिया गया उसके बाद रसीद देना बंद कर दिया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20(i) में जमीन के रैयती अधिकार के हस्तान्तरण पर पावंदी है। जमाबंदी रैयत के द्वारा भी जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। हमारे 00–05–00 (पाँच कट्ठा) में से 00–02–00 (दो कट्ठा) जमीन पर इनके द्वारा संरचना खड़ा कर दिया गया है। बागती लोग संख्या बल एवं बाहुबल के आधार पर जमीन को अवैध कब्जा कर लिये है।

अतएव संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20(i) के तहत विपक्षी को उच्छेद किया जाय।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने समर्थन में कहा कि विपक्षी 1957 से ही घर बना कर रह रहें हैं। अंचल कार्यालय, उधवा द्वारा दियागया प्रतिवेदन संदेहास्पद है। सुखीत चमार यदि लालजीत चमार का बेटा होता तो खतियान में नाम होता। दासु बागती हरदयाल चमार का दामाद था। हरदयाल को लड़का नहीं था। उनकी लड़की से दासु बागती के संग शादी हुई थी। हम भी हरिजन है। हरदयाल चमार दासु बागती को अपने जीवित काल में ही 00–05–00 (पाँच कट्ठा) जमीन दान में दिया जहाँ घर बनाकर 70–80 साल से रह रहे हैं। पारिवारिक प्रबंध के तहत दासु बागती से 2003 में जमीन प्राप्त हुआ है। जिसपर सपरिवार घर बनाकर रह रहें हैं। अंचल के द्वारा अपने प्रतिवेदन में वंशावली नहीं दर्शाया गया है। जिस कारण खतियानी रैयत से आवेदक तथा विपक्षीगण का सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता है। अतः मुकदमा को निरस्त कर दिया जाय।

उभय पक्षों के सूचीबद्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। आवेदक ने सर्वे पर्चा की मूल प्रति की छाया प्रति और पर्चा स्लीप दिया है तथा इसका हिन्दी रूपान्तरण एवं वर्ष 2008 के लगान रसीद की छाया प्रति संलग्न किया है जो आवेदक के दावे को पुष्ट करता है।

द्वितीय पक्ष ने अपने समर्थन में वर्ष 1957, 60, 62 एवं अन्य वर्षो का लगान रसीद की छाया प्रति , पंचनामा तीन प्रतियों में एवं दासु बागती द्वारा दान पत्र की छाया प्रति संलग्न किया है। तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के पेज 94 धारा 20 की छाया प्रति संलग्न किया है।

उपरोक्त सभी साक्ष्यों ,उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं तथा सूचीबद्ध कागजातों एवं अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन एवं मनन करने के पश्चात् निम्न तथ्य स्पष्ट होता है–

1. मौजा प्रधानी है तथा अहस्तान्तरणीय है। आवेदक द्वारा सूचीबद्ध लगान रसीद की छाया प्रति संलग्न किया है जो प्रधान द्वारा निर्गत है।

2. आवेदक जमाबंदी रैयत लालजीत चमार का पुत्र है।
3. दासु बागती को खतियानी रैयत से जमीन कैसे प्राप्त हुआ था, तत्संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. विपक्षी ने दासु बागती से जमीन दान स्वरूप नोटरी पब्लिक ,साहेबगंज के द्वारा प्राप्त करने संबंधी शपथ पत्र की छाया प्रति संलग्न किया है जो वैधानिक तौर पर मान्य नहीं है। साथ ही उनके समर्पित रसीद की छाया प्रति प्रधानी रसीद नहीं है जो संदेह को पुख्ता करता है। क्योंकि यह मौजा प्रधानी है।
5. अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट है कि आवेदित जमीन पर विपक्षी का छः कमरा कुर्सी ढलाई तक बना है तथा एक झोपड़ी भी बना है। जो लगभग 00—02—00 (दो कट्ठा) है। शेष 00—03—00 (तीन कट्ठा) परती है। जिसके उच्छेदी की अनुशंसा भी की गयी है।

उपर्युक्त तमाम साक्ष्यों, जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त पाया कि विपक्षी मौजा मोहनपुर के खाता सं0—45, दाग नं0—25 के अंतर्गत रकवा 01—12—01 (एक बीघा बारह कट्ठा एक धूर) अन्तर्गत 00—05—00 (पाँच कट्ठा) भूमि पर अवैध दखलकार है। अतः संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20(i) के तहत विपक्षी के दखल में उक्त 00—05—00 (पाँच कट्ठा) जमीन से विपक्षी को उच्छेद किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, उधवा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

24/x/13

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.01.13 14:27:40 +05:30
Location: 192.168.0.141

02/4/14

03/4/14

Sukhit Rabida- -versus- Sufal Bagti & others

Scanned with OKEN Scanner